E: ISSN NO.: 2349-980X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-IV*December-2016
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

भारत में बढ़ते बाल व महिला यौन अपराध : पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में एक अध्ययन

रेनू मित्तल
सह प्राध्यापक,
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय
अलवर. राजस्थान भारत

सारांश

"यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता"

अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं । परंतु क्या हमारे भारत देश में यह उक्ति चरितार्थ होती है, यकीनन नहीं?

भारत में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती और बच्चों और महिलाओं को देवी का रूप समझकर अर्चना की जाती हैं । वहीं दूसरी ओर महिलाओं व बच्चों के साथ यौन अपराध बढ़ता ही जा रहा है जो हमारे देश के समाज के लिए अत्यंत चिंता का विषय है ।महिलाएं व बच्चे किसी भी देश की आधारशिला होती है ,और अगर वही मजबूत ना हो तो देश की नींव भी खतरे में होती है।इसलिए हम सभी को महिलाओं व बच्चों कीको इसने व सम्मान की दृष्टि से देखने का नजरिया रखना होगा और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए महिलाओं में बाल यौन अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रबल कार्य करना होगा। तभी हमारी महिलाएं व बच्चे एक सुरक्षित वातावरण में श्वास ले सकते है ।

मुख्य शब्द : महिला यौन अपराध, दुष्कर्म, प्राकृतिक दुष्कर्म ,अप्राकृतिक दुष्कर्म, यौन शिक्षा ,सौडोमी।

प्रस्तावना

भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सभ्यता व संस्कृति के लिए देश भर में जाना जाता है। यहां बच्चों और महिलाओं को देवताओं का प्रतिबिंब मानकर पूजा जाता है । इसलिए भारत में सबसे ज्यादा मंदिर देवियों के ही हैं। परंतु इसके विपरीत हमारे समाज की महिलाओं की स्थिति पर दृष्टि डाली जाए तो ऐसे मंदिरों का होना देश व समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, कि जिस देश में महिलाओं में बच्चों को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, तो उसी देश में उनके साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कार्य कैसे हो सकता है?

हमारे देश में एक उक्ति बड़ी प्रचलित है– "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता " अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं।

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय की बात की जाए तो महिलाओं में बच्चों की स्थिति बड़ी चिंता का विषय रहा है।एक और देश विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं दूसरी और आए दिन बच्चों और महिलाओं के बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं ।जो देश की छवि धूमिल कर रहे हैं। 21वीं सदी में महिलाएं व बच्चे अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है ।एक अध्ययन के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 85: यौन अपराध महिलाओं व बच्चों के साथ उनके ही परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता है ।जो भारतीय संस्कृति पर एक कठोर आघात करती हैं।

हमारे देश में लोगों में नैतिकता व भारतीय मूल्य इतनी गिर चुके हैं कि यहां पर सगे रिश्तेदार भी अपने हवस के लिए अपनी मां –बहनों का शोषण करते हैं।समाज की महिलाओं में बच्चों के प्रति जो सोच है वह बहुत ही दोअम दर्जे की है। यहां एक महिला व बच्चे के साथ दुष्कर्म होने पर इन्हें ही प्रताड़ित किया जाता है ।दुष्कर्म के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है ।यहां स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझा जाता है। उसका धर्म पुरुषों की हवस को पूरा करना है।

जिस देश में संस्कृति और सभ्यता का बोलबाला है ।वहां महिलाओं व बच्चों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहां छोटी–छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य किया जाता है, जो मानवता को शर्मसार करता है । अगर

इसी प्रकार महिलाओं व बच्चों के साथ यौन अपराध होते रहे तो हमारे देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए हम सभी को जिम्मेदार नागरिक, मीडिया, रिपोर्टर, पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हुए बढ़ते महिला व बाल दुष्कर्म पर संवेदनशीलता रखते हुए बढ़ती दुष्कर्म को समाप्त करने हेतु कार्य करना होगा। तभी हमारी महिलाएं व बच्चे खुलकर जीवन जी पाएंगे ।यह तभी संभव होगा जब हम सभी महिलाओं व बच्चों का सम्मान करे व उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहें।

अध्ययन के उद्देश्य

भारत में आए दिन बाल व महिला दुष्कर्म की संख्या बढ़ती जा रही है।जिसके चलते देश की महिलाएं व बच्चे देश में सुरक्षित नहीं है।देश में बढ़ते यौन अपराधों के विरुद्ध देश की न्यायपालिका व प्रशासन कि बंद है आंखों को खोलने हेतु यह लेख काफी प्रभावशाली रहेगा।लेख के माध्यम से यौन अपराधों से ग्रसित महिलाओं कोअपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने का साहस बना पाएंगी व अपने अधिकारों को भी समझ पाएगी।महिलाओं व बच्चों की योन अपराधों से सुरक्षा हेतु ही यह लेख मेरे द्वारा लिखा गया है।

महिला सुरक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक कानून

विधि की समानता अनुच्छेद: 14– स्त्री पुरुषों को विधि के समक्ष समक्ष समान माना जाएगा।

अनुच्छेद 15 (3) जाति ,धर्म ,लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव ना करना

अनुच्छेद 16(1)–लोक सेवाओ में बिना भेदभाव के अवसर की समानता

अनुच्छेद 19 (1)–समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 21 –स्त्री और पुरुष दोनों को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता

अनुच्छेद 23 व 24– शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 29 व 32 –शिक्षा व संस्कृति का अधिकार

अनुच्छेद 33 (क) 84 वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था

अनुच्छेद 39 (घ) पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य हेतु समान वेतन

अनुच्छेद 40 –पंचायत राज्य संस्थाओं में थे73व 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था

अनुच्छेद 42–महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था

अनुच्छेद 51(क व ड) भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग कर जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो

अनुच्छेद 332(क)–में प्रस्तावित 84 वें संविधान संशोधन के जरिए राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

क्या होता है पॉक्सो ऐक्ट?

पॉक्सो ऐक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हुई यौन हिंसा पर कार्रवाई की जाती है.

पॉक्सो ऐक्ट. अंग्रेजी में पूरा नाम है Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. इस ऐक्ट को बच्चों को यौन अपराधों से बचाने, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए लागू किया गया था. 2012 में ये ऐक्ट इसलिए बनाया गया था, ताकि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों का ट्रायल आसान हो सके और अपराधियों को जल्द सजा मिल सके. इस ऐक्ट में 18 साल से कम उम्र वाले को बच्चे की कैटेगरी में रखा जाता है. 2012 से पहले बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर कोई खास नियम–कानून नहीं था.

POCSO अधिनियम, 2012

POCSO यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act– POCSO)का संक्षिप्त नाम है।

POCSO अधिनियम, 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिये लागू किया गया था।

इस अधिनियम में 'बालक' को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये हर चरण को ज़्यादा महत्त्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों तथा कल्याण का सम्मान करता है।

इस अधिनियम की एक विशेषता यह है कि इसमें लैंगिक भेदभाव (ळमदकमत क्पेबतपउपदंजपवद) नहीं किया गया है।

पॉक्सो में किन चीजों को यौन अपराध माना जाएगा?

बच्चों के साथ हुई किसी तरह की यौन हिंसा में पॉक्सो ऐक्ट के तहत ऐक्शन लिया जाएगा.।

बच्चों के शरीर के किसी भी अंग में लिंग या कोई और चीज डालना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा.

इसके अलावा उनके साथ किसी भी तरह का सेक्शुअल इंटरकोर्स, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा. ।

अगर बच्चा मानसिक रूप से बीमार है या बच्चे से यौन अपराध करने वाला सैनिक, सरकारी अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति है, जिस पर बच्चा भरोसा करता है, जैसे रिश्तेदार, पुलिस अफसर, टीचर या डॉक्टर, तो इसे और संगीन अपराध माना जाएगा. ।

अगर कोई किसी नाबालिग लड़की को हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देता है, ताकि वक्त के पहले उनके शरीर में बदलाव किया जा सके, तो ऐसे भी लोगों के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है.।

ऐक्ट की एक मजबूत बात?

बच्चों के साथ हुए अपराध जानते हुए रिपोर्ट न करना भी इस ऐक्ट के तहत अपराध माना जाएगा.

इस ऐक्ट ने यौन अपराध को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है. यानी अगर आपको किसी बच्चे के साथ होने वाले यौन अपराध की जानकारी है, तो ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी है कि आप इसे रिपोर्ट करें. ऐसा न करने पर आपको 6 महीने की जेल और जुर्माना हो सकता है. इस ऐक्ट का इस्तेमाल जम्मू–कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में किया जाता है.।

कैसे होगा ट्रायल?

इस ऐक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट एक साल के अंदर ट्रायल पूरा कर लेगी.।

ऐक्ट के मुताबिक किसी केस के स्पेशल कोर्ट के संज्ञान में आने के 30 दिनों के अंदर क्राइम के सबूत इकट्ठे कर लिए जाने चाहिए और स्पेशल कोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा से एक साल के अंदर ट्रायल पूरा कर लेना चाहिए. बच्चे का मेडिकल 24 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए. ऐक्ट के मुताबिक स्पेशल कोर्ट को सुनवाई कैमरे के सामने करने की कोशिश करनी चाहिए. साथ ही, कोर्ट में बच्चे के पेरेंट्स या कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होना चाहिए, जिस पर बच्चा भरोसा करता हो.

सजा क्या मिलेगी?

इस ऐक्ट के तहत 10 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान था.

ये ऐक्ट कहता है कि केस जितना गंभीर हो, सजा उतनी ही कड़ी होनी चाहिए. बाकी कम से कम 10 साल जेल की सजा तो होगी ही, जो उम्रकैद तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी लग सकता है.

बच्चों के पॉर्नोग्राफिक मटीरियल रखने पर तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है..

अभी ऐक्ट में क्या बदलाव हुए हैं?

अब इस ऐक्ट के तहत केवल आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.

इस ऐक्ट की कुछ धाराओं में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान कर दिया गया है. इस ऐक्ट में कहा गया है कि अगर कोई आदमी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है, तो उसके खिलाफ भी पॉक्सो ऐक्ट के तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इस ऐक्ट की धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 9, धारा 14, धारा 15 और धारा 42 में संशोधन किया गया है. धारा 4, धारा 5 और धारा 6 में संशोधन के बाद अब अपराधी को इस ऐक्ट के तहत मौत की सजा दी जा सकती है.

निष्कर्ष

भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए प्राचीन काल से लेकर अब तक जाना जाता रहा है।विश्व में भारत की सभ्यता और संस्कृति का गुणगान होता रहा है। महिलाओं और बच्चों को यहां देवताओं का प्रतिबिंब मानकर पूजा जाता है।बढ़ते महिला व बाल यौन अपराध देश की छवि को धूमिल करते हैं।देश का विकास भी तभी संभव है जब हमारे देश में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हो ।देश में महिलाएं व बच्चे तभी सुरक्षित हो पाएंगे जब हमारे देश में यौन अपराधों अपराधियों के विरुद्ध सशक्त कानून और समाज के जिम्मेदार नागरिकों की सहभागिता हो। हम एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए यौन अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाएंगें तभी हमारी महिलाएं व बच्चे देश में सुरक्षा का माहौल महसूस करेंगी।यह सब तभी संभव हैजब हमारा प्रशासन और कानून व्यवस्था सशक्त रूप से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए महिलाओं में बच्चों हेतु कार्य करेंऐ ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *बी.एम. गांधी रूइंडियन पेनल कोड*
2. *दुर्गा दास बसुरूइंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.*
3. *एम लक्ष्मीकांत रूइंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.नई दिल्ली*
4. *नेशनल लॉ रिपोर्ट:चिल्ड्रन रेप केस. 2016*
5. *इंडिया स्पेंड रिपोर्टर्स रेप केस इन इंडिया.*
6. *दैनिक भास्करू 18 जनवरी 2016*
7. *द हिंदू न्यूज 2016*
8. *https://www-thelallantop-com/bherant/pocso&act&central&cabinet&approved&the&amendment&in&pocso&act&and&death&penalty&included&by&pm&modi&cabinet/*